न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–शाहपुरा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 186/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/297

1– गुलाबी पत्नी काना गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– चन्द्रा पुत्र काना गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– नानूडा पिता काना गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मेवा पिता काना गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– सायरा पिता काना गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– हरदेव पिता बालू गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– बाली पुत्री देवा गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– सायरी पुत्री देवा गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– गोपी पिता छीतर तेली निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– भेरू पिता छीतर तेली निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– धन्ना पिता भुवाना गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– कालू पिता उगमा तेली निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– नारायण पिता उगमा गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– बालू पिता धन्ना गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10– नन्दा पिता हीरा गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– देबी पिता हीरा गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
12– सुण्डा पिता गोपी गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
13– राधाकिशन पिता कल्ला गूर्जर निवासी नृसिहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
14– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय, 1956

तारीख रजू : **29-05-2024**

उपस्थित :–

1. श्री अविनाश जीनगर :अधिवक्ता प्रार्थीगण

::– निर्णय –::

दिनांक : **12-08-2025**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम नृसिंहपुरा प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 227 रकबा 0.75 है0, 229 रकबा 1.01 है0, 296 रकबा 0.06 है0, 297 रकबा 0.39 है0, 298** रकबा 0.90 है0, **299 रकबा 0.09 है0, 300 रकबा 0.01 है0, 302 रकबा 0.15 है0, 492 रकबा 0.92 है0, 494 रकबा** 1.07 है0, **513 रकबा 0.15 है0, 571 रकबा 0.35 है0, 576 रकबा 0.15 है0, 577 रकबा 0.09 है0, 482 रकबा 0.16 है0,** 490 रकबा **0.11 है0, 491 रकबा 0.37 है0, 496 रकबा 0.46 है0, 497 रकबा 0.32 है0 कुल किता 20 रकबा** 7.86 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के** विपक्षीगण **पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते** समय **मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 15.04.2024 को अपनी आराजी को हांकने गये** विपक्षीगण द्वारा **सीमा को लेकर विवाद किया गया।** इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम नृसिंहपुरा प0ह0** गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक **मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता**

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा(राज.)

20 रकबा 7.86 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 से 5, 7 से 16 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं0 6 के विरूद्ध अभिभाषक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

आज दिनांक **12-08-2025** को बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 ग्राम नृसिंहपुरा प0ह0** गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक **मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर **227 रकबा 0.75 है0, 229 रकबा 1.01 है0, 296 रकबा 0.06 है0, 297 रकबा 0.39 है0, 298** रकबा 0.90 है0, **299 रकबा 0.09 है0, 300 रकबा 0.01 है0, 302 रकबा 0.15 है0, 492 रकबा 0.92 है0, 494 रकबा** 1.07 है0, 513 रकबा **0.15 है0, 571 रकबा 0.35 है0, 576 रकबा 0.15 है0, 577 रकबा 0.09 है0, 482 रकबा 0.16** है0, 490 रकबा **0.11 है0, 491 रकबा 0.37 है0, 496 रकबा 0.46 है0, 497 रकबा 0.32 है0 कुल किता 20 रकबा** 7.86 है0 के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। **विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित** नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** करते हुए **ग्राम नृसिंहपुरा प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक** मिण्डोलिया **तहसील शाहपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजियात में से **आराजी नम्बर** 577 की किस्म **गे.मु. स्कूल** होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता **19** रकबा **7.77 हैक्टेयर** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

–::**आदेश**::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार आराजी **ग्राम नृसिंहपुरा प0ह0 गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की सीमा में** खसरा नम्बर 227 रकबा **0.75 है0, 229 रकबा 1.01 है0, 296 रकबा 0.06 है0, 297 रकबा 0. 39 है0, 298 रकबा** 0.90 है0, 299 रकबा **0.09 है0, 300 रकबा 0.01 है0, 302 रकबा 0.15 है0, 492 रकबा 0.92 है0, 494 रकबा 1.07** है0, 513 रकबा 0.15 **है0, 571 रकबा 0.35 है0, 576 रकबा 0.15 है0, 482 रकबा** किता 19 रकबा **7.77 हैक्टेयर** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **12-08-2025** को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा